

बिहार सरकार
(राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)
भू-अर्जन निदेशालय, बिहार, पटना
अधिसूचना

पत्रांक संख्या-...../डी0 एल0 ए0 (एस0एच0-87)सीतामढ़ी...../रा0,पटना, दिनांक.....

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम- रसुलगंज बस्ती, थाना नं0-194, थाना-पुपरी, अंचल- नानपुर, जिला-सीतामढ़ी में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् रून्नीसैदपुर से बिसवा राज्य उच्च पथ सं0-87 के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम- रसुलगंज बस्ती, थाना नं0-194, थाना-पुपरी, अंचल- नानपुर, जिला-सीतामढ़ी के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कमोबेस 0.133 हेक्टेयर के बराबर होता है, सर्वे खेसरा संख्या निम्नांकित है:-

अर्जनाधीन खेसरा संख्या- 3010अंश 3009अंश 3008अंश 2998अंश 2997अंश 2996अंश 2995अंश 2920अंश
2919अंश 3429अंश 3430अंश 3436अंश 3455अंश 3456अंश 3457अंश 3459अंश 2911अंश 3471अंश
3480अंश 3481अंश 3482अंश एवं 3483 का अंश रकबा


चौहद्दी

उत्तर - 3010, 3009, 3008, 2995 एवं 2867 का अंश
दक्षिण - 3455, 3456, 3457, 3460, 3436, 3430, 3429 एवं 3471 का अंश
पूरब - रोड नानपुर
पश्चिम - रोड शरीफपुर

यह अधिसूचना अधिनियम 1, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन (यथा बिहार अधिनियम 11 सन् 1961 संशोधित अधिनियम 1984) उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी के कार्यालय में देखा जा सकेगा। बिहार सरकार भूमि अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से संबंधित आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय उपमहाप्रबंधक (तक0), बिहार स्टेट रोड डेवलपमेण्ट कॉरपोरेशन लि0, पी0आई0यू0-3, हाजीपुर के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा-2 में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 17(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने निर्णय किया है कि परियोजना की शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध लागू नहीं होंगे।



बिहार राज्यपाल के आदेश से

Eol

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापक संख्या-...../डी0 एल0 ए0 (एस0एच0-87)सीतामढ़ी.....-2221...../रा0,पटना, दिनांक-09-09-13

प्रतिलिपि- निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन अतिरिक्त प्रतियाँ सहित सी0डी0 के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों में, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो प्रकाशनार्थ। इसकी प्रकाशित प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी को उपलब्ध कराया जाए।

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट, सीतामढ़ी की अधिसूचना की दो प्रतियाँ सहित गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 10 (दस) अतिरिक्त प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- ^{समाहर्ता}अपर समाहर्ता, सीतामढ़ी/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



बिहार राज्यपाल के आदेश से

Eol
9/9/13

सरकार के अवर सचिव